

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 196/2022

अन्वयान :

देवीलाल पुत्र राजमल जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. राजमल पुत्र भोपतराम जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
2. रमेश पुत्र राजमल जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
3. कृष्ण पुत्र राजमल जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
4. सुभाष पुत्र राजमल जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
5. फुली देवी पुत्री राजमल जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
6. बलकेश पुत्री राजमल जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
7. बीरमति पुत्री राजमल जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री महावीर सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के खाता सं० 6/11 के खसरा सं० 108 की 0.101 है०, ख०सं० 110 की 0.190 है०, ख०सं० 111 की 0.468 है०, ख०सं० 115 की 0.455 है०, ख०सं० 121 की 0.999 है०, ख०सं० 124 की 16.3900 है०, ख०सं० 99 की 8.258 है० कुल खसरा 7 की 26.8610 है० वारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 राजमल के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज वाद भूमि में प्रतिवादी सं० 1 राजमल का नाम कलमज्जन कर वादी देवीलाल, प्रतिवादी सं० 2 रमेश, प्रतिवादी सं० 3 कृष्ण व प्रतिवादी सं० 4 सुभाष को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 व 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उनय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पच्ची डिक्री आज दिनांक 11.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(शकुन्तला चौधरी) आरएस
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़